

30 $\frac{14}{25}$ वकील... उ.नं. 10/21 ... फ.स. उपनिवेश
 वकील अतिथी महोदय... की.स. का.प.
 कक्ष है जतः फ.स. वकील गत कार्यवाही
 ति.नं. 14/11/26 ... को पेश हो।

14 $\frac{1}{26}$ फ.स. वकील पेश हुई। वकील उ.नं. 10/21 फ.स. उपनिवेश
 की तलकी हेतु जारी नोटिस वर. तामील अथवा क.स.
 तामील प्राप्त नहीं। वकील प्राथी, अ.प्राथी के का.स.
 की तलकी हेतु पुनः नोटिस पेश कटे। नोटिस
 पेश होने पर जारी होकर फ.स. वकील वर. तलकी
 का.स. ति.नं. 4/2/26 को पेश हो।

4 $\frac{2}{26}$ उ.नं. 10/21 ... फ.स. उपनिवेश
 वकील अतिथी महोदय... की.स. का.प.
 कक्ष है जतः फ.स. वकील गत कार्यवाही
 ति.नं. 18/2/26 ... को पेश हो।

18 $\frac{2}{26}$ फ.स. वकील पेश हुई। वकील अ.प्राथी उपस्थित।
 वकील अपीलान्त एवं स्वयं अपीलान्त को
 वर. वर. आवज लगाने के उपरान्त भी
 न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण
 अपील अपीलान्त अक्षम धजटी, अक्षम
 पेशी में खारिज की जाती है। फ.स. वकील
 फौजल शुभार होकर न.स. वर. क.स. हो
 एवं वर. तलकी वर. वर. अपीलान्त की
 जावे। आदेश सुनाया गया।

(काना राम)
 जिला कलेक्टर
 सवाई माधोपुर